भारतीय राजनीति में नृजातीय, धर्म एवं जाति :- भारतीय समाज अत्यन्त प्राचीन है

और भारतीय सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। परन्तु ऐसी परंपरागत समाज में आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रयोग किया गया। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया। उनके अनुसार भविष्य में भारत में जाति, नृजाति और धर्म जैसे कारकों का महत्व कम होगा तथा लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता और अधिकार प्रभावी होंगे। इसी लिए संविधान में जाति, धर्म, मूल, वंश जन्म स्थान, लिंग और प्रजाति के रूप में भेदभाव स्पष्ट रूप में प्रतिबंधित किया गया है।

भारतीय संविधान निर्माता भारत के सांप्रदायिक विभाजन से अवगत थे इसी लिए उन्होंने एक पंथ निरपेक्ष राज्य का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन की बांटो और शासन करो की नीति के दुष्परिणामों को दूर करने का प्रयास किया भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम दशक में भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख थे जिसमें समूचे देश का ...

आर्थिक विकास, राष्ट्र की क्षमता अखंडता बनाये रखना मूल उद्देश्य था। 1961 में जबलपुर में स्वतंत्र भारत में पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र में सांप्रदायिक तत्वों का पूर्णतया सफाया नहीं हुआ था। 1960 के दशक में भारतीय दलीय प्रणाली में कांग्रेस-विरोध के आधार पर विभिन्न अवसरवादी गठबंधन किए गये इस लिए स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए सभी दल उत्तरदायी हैं। जिनका उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(i) कांग्रेस दल सांप्रदायिक तत्वों का सख्ती से मुकाबला नहीं कर सकी बल्कि इसने सांप्रदायिक तत्वों का तुष्टीकरण करना प्रारंभ कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि यह नेहरू युग के बाद विकसित हुआ।

(ii) जनसंघ और बाद में BJP जैसे दल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के द्वारा पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उत्पन्न कर दिया।

(iii) चुनावी राजनीति के कारणों से साम्यवादी दलों ने कभी अकाली दल तो कभी BJP का साथ दिया।

(iv) अकाली दल, मुस्लिम लीग जैसे दलों की मूल पहचान ही धर्म आधारित है।

Scanned with CamScanner

(५) भारतीय संसद के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत धर्म, जाति जैसे मुद्दों के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है लेकिन व्यावहारिक रूप में सभी दल भावनात्मक आधार पर लोगों का वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।

1984 का हिन्दू-सिख सांप्रदायिक दंगा यह स्पष्ट रूप में प्रमाणित करता है कि भारत में सांप्रदायिक तनाव का मूल कारण सांप्रदायिक तनाव है धार्मिक विविधता कदापि नहीं। समकालीन समय में एक नवीन प्रवृत्ति का विकास हो रहा है जब अनेक धार्मिक समुदाय अपने आप को धार्मिक सदस्य के रूप में संगठित एवं एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रफीउद्दीन खान के अनुसार भारत की विविधता मूलतः क्षेत्रीय है इसलिए पंजाब में हिन्दू और मुसलमानों के मध्य ज्यादा समानता है जब पंजाब के हिन्दू और कश्मीर के हिन्दू के मध्य बहुत बड़ी भिन्नता है।

राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवादास्पद ढांचे के ध्वस्त (1992) के बाद पूरे देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ जिससे मुंबई सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यह केवल भारतीय लोकतंत्र नहीं अपितु भारतीय धर्मनिरपेक्षता

Scanned with CamScanner

के लिए अत्यधिक नकारात्मक सिद्ध हो रहा है। अतः सांप्रदायिक समस्या किसी भी क्षेत्रीय समस्या से ज्यादा घातक और विनाशक है क्योंकि इसका प्रभाव अखिल भारतीय होता है। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हुआ सांप्रदायिक दंगा भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यधिक शर्मनाक है। समकालीन समय में समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को राजनीतिक दलों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। अब तो धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग भी लोगों ने उठा दी है जो कि संविधान निर्माताओं के सपने को तहस-नहस करने जैसा है। यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि सांप्रदायिक तत्व किसी धर्म-विशेष से संबंधित नहीं हैं क्योंकि सांप्रदायिक तत्वों का कोई धर्म ही नहीं होता क्योंकि जो व्यक्ति विशुद्ध धार्मिक होगा वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता है।

जाति :- भारतीय लोकतंत्र में जाति का प्रयोग भी वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार एक लोकतांत्रिक समाज का मूल अभिप्राय जाति विहीन समाज है परन्तु 1967 के पश्चात भारतीय राजनीति में जाति का प्रयोग प्रभावी रूप में किया जाने लगा। मंडल आयोग के बाद के परिदृश्य में भारतीय समाज में जातीय विभाजन

Scanned with CamScanner

पुनः एक बार प्रभावी होकर निकला। राजनीतिक विचारकों के अनुसार व्यक्ति की अपनी पहचान जाति से संबंधित मना संकीर्ण राजनीति का उदाहरण है क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति की पहचान उसकी गरिमा से होती है। इसी लिए कुछ लोगों ने जाति को समाज का कैंसर माना और संविधान में न केवल जाति व्यवस्था का स्पष्ट निषेध किया गया है बल्कि 1955 में एक कानून बनाकर छुआछूत को दण्डनीय अपराध माना गया है। रजनी कोठारी जैसे विचारकों के अनुसार भारतीय राजनीति में जाति का प्रयोग नकारात्मक नही अपितु सकारात्मक है। रुडोल्फ एवं रुडोल्फ भी इसी मत से सहमत है। रजनी कोठारी के अनुसार भारत में जातिवाद नही अपितु जातियों का राजनीतिकरण हुआ है जिसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है —

(i) जातीय समूह दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ii) जाति समाज की मूल संरचना है इस लिए राजनीति समाज से अलग नही हो सकती।

(iii) जाति का प्रयोग वोट प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

(iv) इससे पिछड़ी जातियों में चेतना का निर्माण हुआ और उन्होंने अपनी संख्या बल के आधार पर राजनीतिक सत्ता और शक्ति प्राप्त की।

Scanned with CamScanner

v) अतः भारत में जातियों का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, इसके अन्तर्गत अनेक जातियों का परस्पर गठबंधन होता है।

रजनी कोठारी की उपरोक्त मान्यता से सभी लोग सहमत नहीं है लेकिन इनका विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः भारत में पहचानगत राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है लेकिन सभी क्षेत्रों के लिए यह उदाहरण सत्य नहीं है। पिछली पंजाब विधान सभा में हुए चुनाव से यह स्पष्ट है कि पहचानगत राजनीति का प्रभाव कम हुआ है। गुजरात में केशुभाई पटेल पटेलों का वोट प्राप्त नहीं कर सके। जैसे पिछले उ.प्र. विधान सभा के चुनाव अलग नतीजे बताते हैं जहाँ जाति की भूमिका एवं गठबंधन निर्णायक सिद्ध हुआ।

नृजाति :- नृजाति शब्द अत्यधिक भ्रमात्मक एवं बहुअर्थी है। एलिसन के अनुसार, नृजातिवाद का आशय सांझी उत्पत्ति एवं सांझी परंपराओं की सांझी चेतना है। अतः इस आधार पर नृजाति शब्द का आशय प्रजाति, भाषा, धर्म, खानपान, पहनावा जैसे सांझी पहचानों से है।

Scanned with CamScanner

पॉल ब्रास ने भाषा के आधार पर नृजाति समूहों का विवेचन किया है। प्रत्येक नृजातीय समूह अपनी स्पष्ट पहचान बनाये रखता है तथा दूसरे समूहों से भिन्नता भी बनाये रखता है। इसके साथ एक ऐतिहासिक नृजाति समूह में एक भौगोलिक, ऐतिहासिक साझी विरासत हो सकती है।

भारत में उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली होने के बावजूद दलीय व्यवस्था के द्वारा नृजातीय पहचानों के आधार पर सत्ता की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। भारत में जातीय और धार्मिक समूह सबसे बड़े दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में आंचलिक भाषा के मुद्दे को लेकर तथा भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण को लेकर व्यापक आंदोलन हुए। इस लिए इस दशक को सेलिंग हैरिसन ने भारतीय लोकतंत्र के सर्वाधिक खतरनाक दशक कहा। और भारत में नृजातिवादी राजनीति के अनेक रूप देखे जा सकते हैं जिसमें धर्म को भाषा को जाति का प्रयोग मुख्य है। इसके अतिरिक्त उत्तरी-पूर्वी राज्यों में नागा और कुकी जातियों का संघर्ष तथा बोडोलैंड

Scanned with CamScanner

की अलग राज्य की माँग भी नृजातिवाद पर आधारित है। भारत में अनेक क्षेत्रवादी आंदोलनों का आधार भी नृजातिवादी रहा है। जैसे झारखण्ड राज्य की माँग तथा गोरखालैण्ड राज्य की माँग वर्तमान समय में मुख्य है।

मूल्यांकन :- 60 वर्षों के भारतीय लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था अत्यन्त शक्तिशाली हुई और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हुआ है। 14 लोकसभा चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न हुए। वर्तमान में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र के मूल स्तम्भ है। पिछड़ी जातियों का राजनीतिक सशक्तीकरण, S.C, ST's का राजनीतिक सत्ता में भागीदारी तथा महिलाओं का सशक्तीकरण भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियाँ है। उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर के भारतीय लोकतंत्र को और प्रभावी और गतिशील बनाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner